कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 316 दिनांकः– 27/4/17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– गिरीडीह पूर्वी एवं गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत A.D.B सम्पोषित पचंम्मा–जमुआ–श्रवण–चतरो पथ निर्माण हेतु कुल 3.520 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरीडीह का पत्रांक 371 एवं 372 दिनांक 17.04.2017

महाशय,

प्रासंगिक पत्रों (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त उक्त विषय प्रस्ताव के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु पथ निर्माण के लिए गिरीडीह पूर्वी एवं गिरीडीह पश्चिमी वन प्रमंडलों के अन्तर्गत कुल 3.52 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव इस कार्यालय में ऑनलाईन तथा हार्ड कॉपी की पाँच–पाँच प्रतियाँ प्राप्त हुए है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरीडीह के प्रतिवेदनानुसार इस परियोजना के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

1. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्रमंडलवार निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वन भूमि (हे0 में)	जंगल–झाड़ी वनभूमि (हे0 में)	कुल (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
1	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरीडीह पूर्वी वन प्रमंडल	1.512	0.344	1.856	0.2
2	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरीडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरीडीह	1.424	0.24	1.664	0.2
	कुल :–	**2.936**	**0.584**	**3.520**	

2. प्रस्तावित वनभूमि गिरीडीह पूर्वी तथा गिरीडीह पश्चिमी वन प्रमंडल में अवस्थित है।

3. प्रस्ताव के साथ Form-A Part-I में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवेदन तथा अभियुक्ति दर्ज है।

D:\SUNIL\Proposal (K)\Asian Development Bank, Govindpur to Sahebganj\ADB, (3.52 ha)

4. प्रस्ताव के साथ Part-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरीडीह पूर्वी एवं गिरीडीह पश्चिमी का मंतव्य एवं अभियुक्ति दर्ज है तथा वन संरक्षक, गिरीडीह द्वारा Part-III में मंतव्य एवं अभियुक्ति दर्ज है।

5. Part-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज है।

6. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का मौजा मैप संलग्न है।

7. प्रस्ताव के साथ 1:50,000 के स्केल के टोपोशीट संलग्न है।

8. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।

9. प्रस्तावित वनभूमि L.W.E जिला में अवस्थित है तथा 5 हे0 से कम है। अतः CA हेतु आवश्यक गैर वनभूमि की आवश्यकता नहीं है।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा N.P.V की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।

11. प्रस्तावित वनभूमि पर किसी प्रकार की Violation की सूचना नहीं है।

12. संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

13. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी, बायोस्फेयर व्याघ्र परियोजना गज कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है।

14. प्रस्तावित वनभूमि किसी Eco Sensitive zone के अन्तर्गत अवस्थित नहीं है।

15. FRA, 2006 के तहत् उपायुक्त गिरीडीह के पत्रांक 377 दिनांक 15.03.2106 एवं 1514 दिनांक 27.12.2016 द्वारा दावा रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। साथ ही ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति संलग्न है।

16. इस परियोजना में कुल 0.584 हे0 जंगल–झाड़ी वनभूमि उपयोग के संबंध में संबंधित **उपायुक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।**

17. प्रस्ताव के साथ Geo-reference map संलग्न है।

18. प्रस्ताव के साथ C.W.L.W, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्त नहीं है। इस हेतु उनसे मंतव्य की मांग की जा रही है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा।

19. प्रस्ताव के साथ जिले से मूलभूत सूचनाएं दर्ज है।

20. क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इस परियोजना हेतु कुल 3.520 हे0 वनभूमि अपयोजन की अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी इससे सहमत हैं।

21. वन विभागीय ज्ञापांक 4542 दिनांक 08.11.2014 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त प्रस्ताव को Upload किया गया है। Time line पत्र के साथ संलग्न है।

प्रस्तावित वनभूमि 5 हे0 से कम है तथा L.W.E में अवस्थित है। दिशा निर्देश के आलोक में राज्य सरकार इसके अपयोजन हेतु सक्षम है।

अनुरोध है कि कुल 3.520 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I स्वीकृति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

26/4/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

26.4.17

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

PACHAMBA-JAMUA-SARWAN-CHATRO ROAD 3.520 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 3.520 ha. Forest land.

Date :- 26.04.2017

Place :- Ranchi.

Signature

26/4/17

(RAMESH RAMSAI HEMBROM)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests
-cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)